पटना में दिनांक—09 सितम्बर, 2014 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

कृषि विभाग

1. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब—मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए रू० 18010.8484 लाख रूपये (एक अरब अस्सी करोड़ दस लाख चौरासी हजार आठ सौ चालीस रूपये) (केन्द्रांश मद में 13980.3714 लाख रूपये एवं राज्यांश 1553.3746 लाख रूपये तथा राज्य योजना मद में कुल 2477.10240 लाख रूपये) की स्वीकृति। — 1. स्वीकृत।

कृषि विभाग

2. कृषि रोड मैप के अधीन गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए जीरो टिलेज विधि का प्रत्यक्षण एवं संबंधित मदों के लिए वित्तीय वर्ष 2014—15 में राज्य योजनान्तर्गत 3157.40 लाख (एकतीस करोड़ सन्तावन लाख चालीस हजार) रूपये की लागत से कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यय की स्वीकृति। — 2. स्वीकृत।

कृषि विभाग

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014—15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 1455.70 लाख (चौदह करोड़ पचपन लाख सत्तर हजार रू०) रूपये के विरूद्ध कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से राशि की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति। — 3. स्वीकृत।

गृह विभाग
(विशेष)

4. भागलपुर दंगा प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को न्याय दिलाने, पुनर्वासित करने और भविष्य में ऐसे दंगों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु गठित भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा न्यायिक जाँच आयोग के कार्यकाल की अवधि दिनांक—01.09.2014 से दिनांक—28.02.2015 तक पूर्व शर्त्तों पर विस्तारित करने के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

5.	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायकों/पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह "ग" के कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मियों के भुगतेय परीक्षा शुल्क ₹ 1,124/-(एक हजार एक सौ चौबीस) मात्र की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

6.	राज्य में विरासत संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे गैर – सरकारी संग्रहालयों/ संस्थानों यथा–महिला चरखा समिति, पटना, गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय, भरतपुरा, पटना, चेचर संग्रहालय, चेचर, वैशाली (हाजीपुर) एवं राजेन्द्र स्मृति संग्रहालय, पटना को विकास कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल ₹ 10.00 लाख (दस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।	6.	स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

7.	भारत स्काउट और गाईड बिहार के स्थापना व्यय एवं कार्यक्रम संचालन हेतु गैर योजना मद से वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल ₹ 10,00,000/-(दस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।	7.	स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

8.	गाँधी संग्रहालय, पटना को स्थापना व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 10,00,000/-(दस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।	8.	स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

9.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा गठित एवं संचालित बिहार ललित कला अकादमी एवं बिहार संगीत नाटक अकादमी के गैर सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को देय सुविधाओं की स्वीकृति।	9.	स्वीकृत।

उद्योग विभाग

10.	संशोधित खाद्य प्रसंस्करण योजना–2014–15 की स्वीकृति का प्रस्ताव।	10.	स्वीकृत।

उद्योग विभाग

11. वित्तीय वर्ष 2014–15 में नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी सेन्टर की स्थापना, पटना में करने हेतु ₹ 8.40 करोड़ (आठ करोड़ चालीस लाख) सहायक अनुदान तृतीय वर्ष के लिए स्वीकृति का प्रस्ताव। — 11. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

12. जल संसाधन विभाग, बिहार में संविदा के आधार पर नियोजित 52 कनीय अभियंता (यॉंत्रिक) का अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजित करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

13. अवमाननाबाद संख्या–1730/2013 (सी०डब्लू०जे०सी० सं०–17425/2011 से उत्पन्न) अंजनी कुमार सिन्हा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–18.06.2014 को पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन हेतु पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–30 से गुरू गोविन्द सिंह पथ को जोड़नेवाला गुरू गोविन्द सिंह लिंक पथ के निर्माण से संबंधित निजी भूखण्ड को अधिग्रहित करने हेतु विहित प्रक्रिया को विशेष परिस्थिति में शिथिल करते हुए मुआवजे की राशि को जिलाधिकारी, पटना के माध्यम से संबंधित भू–स्वामियों को सीधे भुगतान कर क्रय करते हुए अधिग्रहित करने के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

14. बिहार रजिस्ट्रीकरण लिपिक संवर्ग नियमावली, 2004 में संशोधन। — 14. स्वीकृत।

वित्त विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार द्वारा 9565.45 करोड़ रूपए बाजार ऋण सहित कुल 14991.89 करोड़ रूपए के ऋण उगाही की स्वीकृति। — 15. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

16. श्री भोला प्रसाद, निलंबित औषधि निरीक्षक, नालन्दा को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 16. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

17. बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली 2014 की स्वीकृति के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

18. बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 की स्वीकृति। — 18. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

19. किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रासजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप में घोषित करने एवं बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को स्वतंत्र रूप से शामिल करने के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी)

20. पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट रक्सौल के निर्माणार्थ अधिग्रहित 235.33 एकड़ भूमि का पुनरीक्षित मुआवजा राशि ₹ 115,47,97,978 (एक सौ पन्द्रह करोड़ सैंतालीस लाख संतानवे हजार नौ सौ अठहत्तर रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति की स्वीकृति देने एवं शेष देय राशि रू० 93,22,80,139 (तिरानवे करोड़ बाईस लाख अस्सी हजार एक सौ उनचालीस रू०) भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में। — **20. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

21. राज्य के विश्वविद्यालयों/स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों तथा घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकों सहित कुलपति/प्रतिकुलपति के दिनांक–01.01.2006 से यू०जी०सी० वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक–01.01.2006 से 31.03.2010 की अवधि के लिए वेतनान्तर मद में अतिरिक्त व्यय भार के रूप में वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्यादेश संख्या–146, दिनांक–27.03. 2014 द्वारा सशर्त्त स्वीकृत राशि रूपये 630,13,93,432/–(छः सौ तीस करोड़ तेरह लाख तिरानबे हजार चार सौ बत्तीस) मात्र में से भारत सरकार से प्राप्त राशि रूपये 140,86,60,624/–(एक सौ चालीस करोड़ छियासी लाख साठ हजार छः सौ चौबीस) मात्र घटाकर पी०एल० खाता में संचित अवशेष राशि रूपये 489,27,32,808/–(चार सौ नवासी करोड़ सत्ताईस लाख बत्तीस हजार आठ सौ आठ) मात्र की विमुक्ति हेतु राज्यादेश संख्या–146, दिनांक–27.03.2014 की कंडिका–6 में अंकित शर्त्तों को शिथिल करते हुए एक मुश्त करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

22. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना के सभागारों के जीर्णोद्धार, शिक्षक आवासों के जीर्णोद्धार तथा चाहरदीवारी एवं मुख्य द्वार के जीर्णोद्धार हेतु कुल रूपये 50,00,000/–(पचास लाख) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — **22. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

23. वित्तीय वर्ष 2014–15 में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 1,32,00,00,000/–(एक अरब बत्तीस करोड़) मात्र के 'सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा' स्वीकृति के संबंध में। — **23. स्वीकृत।**

गृह (आरक्षी) विभाग

24. बिहार पुलिस हस्तक खंड–3, के परिशिष्ट–71 के भाग–1 (सीधी नियुक्ति) से संबंधित उप–नियम–2 के प्रावधान के अंश "ऐसे उम्मीदवार, जो सरकारी सेवा में सम्पुष्ट हों, विहित उम्र सीमा रहने के बावजूद बिहार आरक्षी सेवा के योग्य न होंगे" को विलोपित करने के संबंध में। — **24. स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

25. "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 222.50 लाख रूपये मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। — **25. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

26. गया जिलान्तर्गत बाराचट्टी प्रखण्ड के उर्दू मध्य विद्यालय, भदेया एवं बेलागंज प्रखण्ड के कोरियावाँ पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय मेन को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने की स्वीकृति। — **26. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

27. वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजनान्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के मार्च, 2014 से फरवरी, 2015 तक के लिए वेतनादि/पेंशनादि के साथ–साथ अगस्त, 2013 से फरवरी 2014 की अवधि के लिए बकाये महंगाई भत्ता/महंगाई राहत के मद में भुगतान के लिए कुल रूपये 1905,10,40,995/–(एक हजार नौ सौ पाँच करोड़ दस लाख चालीस हजार नौ सौ पंचानबे) मात्र एवं विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में आउटसोर्सिंग से सेवायें लिए जाने हेतु रूपये 73,53,60,000/–(तिहत्तर करोड़ तिरपन लाख साठ हजार) मात्र अर्थात कुल रूपये 1978,64,00,995/– (एक हजार नौ सौ अठहत्तर करोड़ चौसठ लाख नौ सौ पंचानवे) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के साथ–साथ रूपये 20,26,21,362/–(बीस करोड़ छब्बीस लाख इक्कीस हजार तीन सौ बासठ) मात्र का पुनर्विनियोग तथा माह मार्च, 2014 से मई, 2014 तक के लिए स्वीकृत एवं विमुक्त राशि 419,55,41,541/– (चार सौ उन्नीस करोड़ पचपन लाख एकतालीस हजार पाँच सौ इकतालीस) मात्र का सामंजन एक मुश्त करने की स्वीकृति के संबंध में। — 27. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

28. वर्त्तमान बाढ़ 2014 के मद्देनजर गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–114–कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष–0001– कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 100.00 करोड़ (एक अरब रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — 28. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

29. दरभंगा जिलान्तर्गत मनीगाछी प्रखंड के वाजितपुर बाजार में ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 11 (ग्यारह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 29. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

30. वित्तीय वर्ष 2014–15 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के स्थापना एवं अन्य मद में व्यय हेतु ₹ 6,00,00,000.00 (छः करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल ₹ 3,90,00,000.00 (तीन करोड़ नब्बे लाख) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में। — 30. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

31. बेंच–डेस्क के क्रय के संबंध में मंत्रिपरिषद् की दिनांक–04.03.2014 की बैठक के निर्णय को निरस्त करते हुए बेंच–डेस्क की संशोधित विशिष्टताओं एवं दर के अनुरूप मुख्यमंत्री पोशाक योजना/मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना में वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की कूल बचत राशि 2,06,70,00,000/–(दो अरब छः करोड़ सत्तर लाख रूपये) से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से बेंच–डेस्क के क्रय के प्रस्ताव में स्वीकृति। — 31. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा)

32. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 से राज्य के सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों में संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) की 10वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी में उतीर्ण छात्र–छात्राओं को भी ₹ 8000 (आठ हजार) प्रति छात्र–छात्रा एवं 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उतीर्ण इन समुदाय के छात्राओं को प्रति छात्रा क्रमशः ₹ 15000 (पन्द्रह हजार) रूपये एवं ₹ 10000 (दस हजार) रूपये प्रोत्साहन राशि के निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में। — 32. स्वीकृत।

वित्त विभाग

33. बिहार आकस्मिकता निधि से स्थायी काय, जो 350 करोड़ रूपये है, को 30 मार्च, 2015 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 1200 करोड़ रूपये करने के संबंध में। — 33. स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

34. लघु जल संसाधन विभाग का पुनर्गठन। — 34. स्वीकृत।

कृषि विभाग

35. किसान सलाहकार का मानदेय दिनांक–01.04.2014 के प्रभाव से 5000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 6000 रूपये प्रतिमाह करने तथा किसान सलाहकार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में 548673484.00 (चौवन करोड़ छियासी लाख तिहत्तर हजार चार सौ चौरासी) रू० मात्र व्यय की स्वीकृति। — 35. स्वीकृत।

	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	
36.	राज्य में रहने वाले जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सभी योजनाओं का लाभ पाने की पात्रता के संबंध में।	**36. स्वीकृत।**
	समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)	
37.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 60–79 वर्ष आयु वर्ग के सभी पेंशनधारी, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के सभी पेंशनधारियों को माह जुलाई, 2014 से 400/–रू० प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान करने तथा इस हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू० 823.69 करोड़ (आठ सौ तेईस करोड़ उनहत्तर लाख रूपये) मात्र का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार के संसाधन से करने की स्वीकृति।	**37. स्वीकृत।**
	समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)	
38.	राज्य योजना मद से संचालित तीन पेंशन योजनाओं यथा–लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना तथा राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन की राशि माह जुलाई, 2014 से बढ़ाकर प्रतिमाह 400/–रू० करने तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू० 113.40 करोड़ (एक सौ तेरह करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।	**38. स्वीकृत।**
	स्वास्थ्य विभाग	
39.	बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2014 अधिसूचित करने के संबंध में।	**39. स्वीकृत।**
	स्वास्थ्य विभाग	
40.	राज्य में चिकित्सा प्रक्षेत्र के सभी विधाओं में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी के संबंध में।	**40. संलेख की कंडिका 3(क), 3(ख), 3(ग) एवं 3(घ) की प्रतिमाह दर क्रमशः ₹ 12000, 12000, 12000 एवं 8000 के संशोधन के साथ स्वीकृत।**
	स्वास्थ्य विभाग	
41.	इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में अंतरिम तौर पर चिकित्सकों के 34 (चौंतीस) एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के 30 (तीस) रिक्त पदों को प्रत्यर्पित करते हुए, अराजपत्रित–57 (सन्तावन) अर्थात् कुल 91 (एक्यानवे) पदों के सृजन के संबंध में।	**41. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

42. नालन्दा जिला के हरनौत प्रखंड में राजकीय औषधालय, कल्याण बिगहा, सुपौल जिलान्तर्गत राजकीय औषधालय, लालगंज तथा पटना जिलान्तर्गत राजकीय औषधालय, कृष्णाबाग, (कसबा) पटना सिटी में विभिन्न कोटि के कुल 21x 3=63 (तिरसठ) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **42.** **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

43. गैर–योजनान्तर्गत सुपौल जिलान्तर्गत स्व० रविनन्दन मिश्रा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलुआ बाजार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमण के फलस्वरूप 29 अतिरिक्त पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **43.** **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

44. बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग नियमावली, 2014 के गठन की स्वीकृति। — **44.** **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

45. राज्य कार्यक्रम कार्यान्वियन समिति के उपाध्यक्ष को देय सुविधाओं के संबंध में। — **45.** **स्वीकृत।**